उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम राजेन्द्रसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 9/2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2026/22

प्रार्थी : बनाम अप्रार्थी :

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री बांघसिंह, निवासी उतमण, शिवगंज (सिरोही) संचालक
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह निवासी उतमण शिवगंज (सिरोही) राज. कार्मिक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति:— अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सखाराम देवासी।

—:निर्णय:—

दिनांक: 30.03.2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर जब्तशुदा 08 ड्रम, 02 जरीकन, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 इलेक्ट्रि मोटर तथा एक 05 लीटर का मापक यंत्र को राज्यसात करने हेतु पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.2025 को पुलिस थाना साण्डेराव से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी श्री मनजीतसिंह, मन प्रवर्तन अधिकारी श्री कमल कुमार पंवार एवं श्री जितेन्द्रसिंह आशिया नेशनल हाइवे एनएच 62 सरहद सिन्दरु में श्री पाबुसिंह पुत्र फूलसिंह निवासी सिन्दरु की खातेदारी भूमि में स्थित होटल इण्डियन पर पहूंचे। मौके पर एक टैंकर संख्या जी.जे. 06 बी.टी. 1876 खडा हुआ था तथा होटल के पीछे की तरफ पुलिस जाप्ते के साथ अवलोकन करने पर नीले कलर के प्लास्टिक के ड्रम पाये गए। उक्त ड्रमों के बारे में पूछताछ करने पर उक्त ड्रमों में पैट्रोलियम पदार्थ/केमिकल होना बताया। मौके पर गणना करने पर कुल 08 ड्रमों में पैट्रोलियम पदार्थ/केमिकल होना पाया गया साथ ही 02 प्लास्टिक के छोटे जरीकन भी भरे हुए पाए गए। इसके अतिरिक्त 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 इलेक्ट्रिक मोटर तथा एक 05 लीटर का मापक यंत्र भी पाया गया।

उक्त ड्रमों में भरे केमिकल/पेट्रोलियम पदार्थ से अवैध भण्डारण किया जाना प्रतीत होने पर टैंकर व ड्रमों को कब्जा राज लेकर मौके पर धीरज पेट्रोलियम सिन्दरु के प्रतिनिधि द्वारा लाये गये हाईड्रोमीटर से घनत्व परीक्षण करने पर मौके पर मौजुद ड्रमों में निम्नानुसार मात्रा पायी गई:—

A होटल के पीछे दीवार के पास ड्रमों की स्थिति:—			B होटल के दीवार से दूर की तरफ ड्रमों की स्थिति		
क्र. स.	ड्रम/जरीकेन पर मार्का न.	अनुमानित मात्रा (लीटर में)	क्र. स.	ड्रम/जरीकेन पर मार्का न.	अनुमानित मात्रा (लीटर में)
1.	1	200	1	1	150
2.	2	200	2	2	80
3.	3	200			

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम राजेन्द्रसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

4.	4	150	3	3	90
5.	5	90			
6.	जरीकेन 6	30	4	04 जरीकेन	50

मौके पर A स्थल के बरामद पैट्रोलियम पदार्थ / केमिकल प्रतीत होने पर A1 एल्युमिनियम कंटेनर में तथा B स्थल के बराम पैट्रोलियम पदार्थ / केमिकल प्रतीत होने पर B1 एल्युमिनियम कंटेनर में 1–1 लीटर का सैम्पल एल्युमिनियम कंटेनर में पृथक से लिया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	सैम्पल संख्या	मात्रा (लीटर)	एल्युमिनियम कंटेनर सील संख्या
1.	A1	1	513329
2.	A2	1	513306
3.	B1	1	513377
4.	B2	1	513308

उपरोक्त 04 सैम्पल कंटेनरों पर एल्युमिनियम बॉक्स पर ऑरेंज रंग की आईओसीएल मार्का की प्लास्टिक की सील लगाकर सील बन्द किया गया, जिसमें से ए1, बी1 एफएसएल जाँच हेतु भिजवाये जा चुके है एवं ए1, बी1 कार्यालय में रिजर्व रखे गये।

मौके पर जब्तशुदा 08 ड्रम, 02 जरीकेन, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 इलेक्ट्री मोटर तथा एक 05 लीटर का मापक यंत्र को कब्जे राज लिया जाकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु पुलिस थाना साण्डेराव के श्री श्यामराज सिंह पुत्र सांवलदान पुलिस निरीक्षक को सुपुर्दीनामें पर सुपुर्द किया गया। मौके पर निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस क्रम में मौके पर होटल के आरे की तरफ खडे एक टैंकर संख्या जी.जे.06 बी.टी. 1876 के बारे में पूछताछ करने पर ड्राईवर प्रहलाद पुत्र हडमानराम, जाति जाट, निवासी डूकिया, तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर ने बताया कि उक्त टैंकर में रात भर चला रहा था, जिस कारण यहां विश्राम के लिए रुका हुआ हूँ। टैंकर में भरे पदार्थ व दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने पर दस्तावेज मोबाईल में होना बताया तथा टैंकर में फिनोल नामक केमिकल होना बताया गया, जिसमें बिल्टी का अवलोकन करवाया। मौके पर टैंकर का निरीक्षण करने पर टैंकर पीछे की तरफ व साईड में सीलबन्द पाया गया। जांच में कोई अनियमितता के तथ्य नहीं होने से टैंकर चालक / मालिक पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थीगणों द्वारा ड्रमों में भरे केमिकल / पैट्रोलियम पदार्थ से अवैध भंण्डारण किया जाना प्रतीत होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश मोटर स्प्रिट (एम एस) एवं उच्च वेग डीजल (HSD) (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 03 व 04 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः श्रीमान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 08 ड्रम, 02 जरीकेन, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 इलेक्ट्रीक मोटर तथा एक 05 लीटर का मापक यंत्र को राज्यसात करने के आदेश प्रदान किया जाए।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सखाराम देवासी उपस्थित हुए। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने प्रकरण में जवाब पेश नही कर सीधे बहस सुनने का निवेदन किया प्रार्थी अन्य राजकार्यो में व्यस्त होने से काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि जब्त पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रुप से संचित नहीं है तथा आरोपों का पूर्णतः खण्डन किया गया, किन्तु

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम राजेन्द्रसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अभियुक्तगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई वैध लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र, क्रय–विक्रय से संबंधित अभिलेख अथवा अन्य कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही वे यह स्पष्ट कर सके कि इतनी अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण किस वैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत किया गया था।

पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन तथा बहस में उठाए गए तथ्यों पर मनन उपरान्त यह परिलक्षित होता है कि:–

- पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है।
- अभियुक्तगण द्वारा उक्त पदार्थ का भण्डारण बिना किसी वैध अनुज्ञा/लाइसेंस के किया गया।
- बरामद मात्रा अत्यधिक (1240) है, जो सामान्य उपभोग की सीमा से कहीं अधिक है।
- मौके से प्राप्त उपकरण (कांटा मीटर आदि) इस ओर संकेत करते है कि यह गतिविधि व्यवसायिक स्वरुप की थी।

अप्रार्थी द्वारा घरेलु पैट्रोलियम/केमिकल पदार्थ का अवैध रुप से व्यवसायिक भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तशुदा 08 ड्रम, 02 जरीकेन, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 इलेक्ट्रीक मोटर तथा एक 05 लीटर का मापक यंत्र को राजसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में अंकित सारणी में वर्णणानुसार घरेलु पैट्रोलियम/केमिकल का अवैध संग्रहण/भण्डारण एवं अवैध व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तशुदा जब्तशुदा 08 ड्रम, 02 जरीकेन, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 इलेक्ट्रीक मोटर तथा एक 05 लीटर का मापक यंत्र को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 A(a) के प्रावधानान्तर्गत तथा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना के कारण राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि जब्तशुदा 08 ड्रम, 02 जरीकेन, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 इलेक्ट्रीक मोटर तथा एक 05 लीटर का मापक यंत्र को सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र F.8618/खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F.04(23)/खा.ले./नीति/6A/89 दिनांक 16.11.1999 के अनुरुप ही जब्तशुदा 08 ड्रम, 02 जरीकेन, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 इलेक्ट्रीक मोटर तथा एक 05 लीटर का मापक यंत्र के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

क्रमांक/रसद वि.प्र.स./09/2026/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. जिला रसद अधिकारी, पाली
2. प्रवर्तन निरीक्षक, पाली
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री बाघसिंह निवासी उतमण, शिवगंज (सिरोही) मो.न. 9928354481

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली